देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर–452001

कमांक / शैक्ष / बैठक / 890

दिनांक 28 AUG 2020

अधिसूचना

सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18 / 08 / 2020 के विषय कमांक – 3/अ में लिये गये निर्णयानुसार, पीएच डी अध्यादेश अंतर्गत शोध सलाहकार समिति . Research Advisory Committee – (RAC) एवं शोध उपाधि समिति Research Degree Committee –(RDC) ,पूर्व पीएच डी मौखिकी (Pre Ph.D. Viva-voce), पूर्व परम्परागत प्रकिया के साथ साथ ऑनलाईन आयोजित किया जाना है। इस संबंध में निम्नानुसार प्रकिया का पालन किया जाए :–

1. RAC एवं RDC की बैठक ऑनलाइन कराने हेतु प्रक्रिया :

RAC की ऑनलाइन बैठक सम्बन्धित विषय के लिए चिन्हित विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के शोध केंद्र पर आयोजित की जाएगी। RDC की बैठक विश्वविद्यालय के प्रशासकीय कार्यालय में आयोजित की जावेगी। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा Online Video Conference हेतु उपलब्ध प्लेटफॉर्म्स में से एक या एक से अधिक प्लेटफॉर्म का चयन कर आवश्यक संख्या में लाइसेंस प्राप्त कर प्रत्येक शोध केंद्र एवं पीएच.डी. से सम्बंधित कार्यालयों के प्रमुखों को चयनित प्लेटफॉर्म का Login-ID एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रत्येक विषय की RAC / RDC हेतु सम्बन्धित विषय के लिए चिन्हित विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के शोध केंद्र प्रमुख एक-एक dedicated ईमेल अकाउंट खोलेंगे (e.g. res.physics.davv@gmail.com)।

1.1 RAC की बैठक के सम्बन्ध में:

पीएच.डी. प्रवेश प्रकोष्ठ द्वारा एक सामान्य सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी कि RAC के समक्ष साक्षात्कार हेतु पात्र समस्त छात्र आवश्यक मूल दस्तावेजों की स्कैन कॉपी सम्बंधित शोध केंद्रों के ईमेल ID पर भेजेंगे। आवश्यक दस्तावेजों की सूची एवं सम्बंधित शोध केंद्रों के ईमेल ID की सूची को भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

RAC द्वारा छात्रों द्वारा भेजे गए दस्तावेजों की छानवीन कर साक्षात्कार हेतु पात्र छात्रों की सूची तैयार कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

RAC अध्यक्ष द्वारा बैठक की दिनांक एवं समय निर्धारित कर शोध केंद्र प्रमुख को सूचित किया जायेगा। शोध केंद्र प्रमुख या उनका कार्यालय साक्षात्कार दिनांक एवं समय की सूचना समस्त पात्र छात्रों को उनके ईमेल पर भेजेंगे एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे।

शोध केंद्र प्रमुख या उनका कार्यालय विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत Online Video Conference प्लेटफॉर्म पर RAC की बैठक को निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार Schedule कर सम्बंधित लिंक, मीटिंग ID एवं पासवर्ड RAC के समस्त सदस्यों एवं पात्र छात्रों को ईमेल के माध्यम से भेजेंगे। बैठक में समस्त छात्रों को ऑनलाइन वेटिंग रूम में रखेंगे और साक्षात्कार हेतु एक-एक कर वेटिंग रूम से मीटिंग को Join करने हेतु अधिकृत करेंगे। साक्षात्कार के उपरांत उस छात्र को ऑनलाइन मीटिंग से बाहर कर दिया जायेगा।

ऑनलाइन साक्षात्कार के उपरांत RAC के समस्त सदस्य चयनित छात्रों की सूची तैयार कर अपने-अपने हस्ताक्षर कर सूची को शोध केंद्र प्रमुख को सौंप देंगे। बाद की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी।

ऑनलाइन साक्षात्कार की Recorded सॉफ्टकॉपी शोध केंद्र प्रमुख या उनका कार्यालय अपने पास रखेगा।

RAC का प्रत्येक सदस्य अपने मानदेय के देयक को भरकर शोध-केंद्र प्रमुख को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा।

1.2 RDC की बैठक के सम्बन्ध में:

RDC बैठक की दिनांक एवं समय निर्धारित होने के उपरांत शैक्षणिक विभाग उक्त बैठक की एक सूचना जारी करेगा। जिसमें यह भी उल्लेखित होगा कि प्रत्येक शोधार्थी अपने प्रस्तावित शोध प्रस्ताव की हार्ड कॉपी जो कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग में जमा की गई है उसकी सॉफ्ट कॉपी चिन्हित शोध केंद्र के केंद्र प्रमुख द्वारा अधिकृत ईमेल पर भेजे। केंद्र प्रमुख या उनके कार्यालय द्वारा उस सॉफ्ट कॉपी को RDC के समस्त सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजा जायेगा।

शोध केंद्र प्रमुख या उनका कार्यालय विश्वविद्यालय के प्रशासकीय कार्यालय में Online Video Conference प्लेटफॉर्म पर RDC की बैठक को निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार Schedule कर सम्बंधित लिंक, मीटिंग ID एवं पासवर्ड RDC के समस्त सदस्यों एवं शोधार्थियों को ईमेल के माध्यम से भेजेंगे। बैठक में समस्त शोधार्थियों को ऑनलाइन वेटिंग रूम में रखेंगे और शोध प्रस्ताव के प्रस्तुति हेतु क्रमशः एक-एक को वेटिंग रूम से मीटिंग को Join करने हेतु अधिकृत करेंगे। साक्षात्कार के उपरांत उस शोधार्थी को ऑनलाइन मीटिंग से बाहर कर दिया जायेगा।

RDC की रिपोर्ट पर बाह्य विषय विशेषज्ञ हस्ताक्षर कर उसकी स्कैन कॉपी की पीडीएफ शोध केंद्र प्रमुख को ईमेल के माध्यम से भेज देंगे एवं हस्ताक्षरयुक्त मूलप्रति कार्यालयीन अभिलेख हेतु उपकुलसचिव (अकादमिक) को प्रेषित करेगें। शोध केंद्र प्रमुख बाद में उस रिपोर्ट पर अन्य सदस्यों के मूल हस्ताक्षर करवा कर शैक्षणिक विभाग को सौंप देंगे।

2. Ph.D. की Summary जमा करने के पूर्व आयोजित होने वाले Pre-Ph.D. Viva को ऑनलाइन माध्यम से करने हेतु सम्बंधित शोध केंद्र को अधिकृत किया जाता है।

3. जब तक विश्वविद्यालय द्वारा Online Video Meeting हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तक शोध केंद्र प्रमुख उनके पास उपलब्ध Online Video Meeting प्लेटफॉर्म पर पीएच.डी. की RAC की मीटिंग ऑनलाइन करा सकेंगे।

उपरोक्त प्रक्रियानुसार RAC, RDC, Pre Ph.D. Viva-voce की बैठक आनलाईन किए जाने के साथ ही पूर्व परम्परागत प्रकिया अनुसार जारी रहेगी ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्रमां. – 890 28 AUG 2020

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकाध्याध्यक्ष,देवी अहिल्या विश्वविदयालय इन्दौर
2. समस्त विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक, वि0वि0 अध्ययनशाला देअविवि,इंदौर
3. समस्त प्राचार्य / शोध केन्द्र प्रमुख देवी अहिलया विश्वविदयालय इंदौर
4. अध्यक्ष समस्त अध्ययन मंडल देवी अहिल्या विश्वविदयालय,इंदौर
5. अध्यक्ष पीएच डी सेल देवी अहिल्या विश्वविदयालय,इंदौर
6. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक देवी अहिल्या विश्वविदयालय,इंदौर
7. प्र. सेंटर ऑफ वेबसाईट पर अपलोड करवें।

उपकुंलसचिव,(शैक्षणिक)